



दूरभाष : 05111-271557
05111-271212

कार्यालय, जिला पंचायत कानपुर देहात

पत्रांक संख्या 261 / नि०-मानचित्र / जि०पं० / 2022-23

अनुज्ञा / स्वीकृति

दिनांक 05/7/2022

सेवा में,

छत्रपति शिवाजी शिक्षा एवं विकास समिति,
प्रबन्धक श्रीमती मिथलेश कटियार, ग्राम -साखिन बुजुर्ग,सिकन्दरा,
जनपद-कानपुर देहात।

विषय : मानचित्र स्वीकृत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक छत्रपति शिवाजी शिक्षा एवं विकास समिति, प्रबन्धक श्रीमती मिथलेश कटियार, ग्राम -साखिन बुजुर्ग,सिकन्दरा जनपद-कानपुर देहात में स्थित भूमि के खसरा संख्या-135 मि० (क्षेत्र 3.839 हे०) के आंशिक भाग 1.024 हे० क्षेत्रफल 10240 वर्ग मीटर पर छत्रपति शिवाजी शिक्षा एवं विकास समिति के शैक्षणिक संस्थान का मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो कि जिला पंचायत कानपुर देहात के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव पर जिला पंचायत कानपुर देहात की उपविधि संख्या-2057/23-09-2013-14 दिनांक 18 अप्रैल 2015 की धारा-13 के प्राविधानों के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदन के कम में निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि सञ्ज्ञान में आता है, कि नक्शा स्वीकृत हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं, अथवा गलत हैं, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
2. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि मानचित्र स्वीकृत के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों से यथा आवश्यक लाइसेन्स/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कुशल एवं दक्ष आर्किटेक्ट/इंजीनियर की देख-रेख में कराना होगा।
3. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि प्रस्तावित छत्रपति शिवाजी शिक्षा एवं विकास समिति का निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माण अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
4. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर जलमल/सीवरेज/ उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये।
5. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूलस/लोक निर्माण विभाग के नियम यथावत लागू रहेंगे।
6. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि मानचित्र के अनुसार छत्रपति शिवाजी शिक्षा एवं विकास समिति के भू उपयोग हेतु उपलब्ध भूखण्ड का क्षेत्रफल 10240 वर्गमीटर व रोड द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल 5794.25 वर्गमीटर तथा बाउन्ड्री की लं० 396.63 रनिंग मीटर में ही निर्माण कार्य होगा। जिसका अनुमोदित एफ०ए०आर० 0.57 है।

4

7. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि भवन निर्माण कार्य, मानचित्र के अनुसार ही आराजी नं० 135 मि० के आंशिक भाग 10240 वर्ग मीटर में ही किया जायेगा। आकृषक भूमि पर ही निर्माण कार्य किया जायेगा। यदि किसी भी अन्य विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी।
8. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृति मानचित्र में बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शों/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत कानपुर देहात से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. प्रतिबन्ध रहेगा कि अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।
10. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि 100 वृक्ष या कम से कम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल प्रति वृक्ष दोनों में जो अधिक हो, के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
11. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि भवनों के स्ट्रक्चरल प्राविधानों को नेशनल बिल्डिंग कोड की सुरक्षा मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा।
12. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि भवन निर्माण अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों (अनिवार्य रूप से) को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार कराया जायेगा।
13. प्रतिबन्ध रहेगा कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होगा।
14. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
15. भूमि स्वामित्व सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति से जिला पंचायत कानपुर देहात उत्तरदायित्व नहीं होगा।
16. भवन निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुए आवश्यक सेस कर का भुगतान श्रम विभाग को भवन स्वामी द्वारा करना होगा।
17. प्रतिबन्ध रहेगा कि उपविधि के प्रस्तर-14 के अनुसार स्वीकृति मानचित्र की अवधि एक वर्ष के पश्चात कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में कार्यालय जिला पंचायत, कानपुर देहात से पुनः समय वृद्धि की अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।


4
 अपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत कानपुर देहात
 अपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत, कानपुर देहात

NO.	SYMBOL	DESCRIPTION
1		SMOOTH ROAD
2		FOOTPATH
3		MANHOLE COVER
4		MANHOLE CHAMBER
5		FIRE HYDRANT
6		FIRE ALARM BOX
7		TERRACE TANK
8		FOOTPATH
9		FIRE HYDRANT




NO.	DESCRIPTION	AREA (SQ. FT.)	AREA (SQ. METERS)
1	EXISTING AREA	10110	937.0
2	PROPOSED AREA	20000	1858.0
3	TOTAL AREA	30110	2795.0
4	CONCRETE AREA	10000	929.0
5	COVERED AREA	15000	1398.0
6	EXISTING COVERED AREA	10000	929.0
7	PROPOSED COVERED AREA	5000	464.5
8	TOTAL COVERED AREA	15000	1398.0
9	EXISTING OPEN AREA	10110	937.0
10	PROPOSED OPEN AREA	15000	1398.0
11	TOTAL OPEN AREA	25110	2331.0
12	TOTAL AREA	30110	2795.0

EXISTING AND PROPOSED COLLEGE BUILDING PLAN
 CONDUCTED BY - CHHATRAPATI MAHARAJ SHISHU BHAV VASAHATI
 SITUATED AT KHASRA NO. - 123, SAKHRI BULLING, BHAMARA, KANPUR DEHAT, U.P. - 209026

AREA STATEMENT
 TOTAL PLOT AREA = 10000 SQ. METERS
 AREA OF PROPOSED ROAD = 1000 SQ. METERS
 NET AREA = 9000 SQ. METERS
 COVERED AREA = 15000 SQ. METERS
 CONCRETE AREA = 10000 SQ. METERS
 COVERED AREA = 15000 SQ. METERS
 EXISTING COVERED AREA = 10000 SQ. METERS
 PROPOSED COVERED AREA = 5000 SQ. METERS
 TOTAL COVERED AREA = 15000 SQ. METERS
 EXISTING OPEN AREA = 10110 SQ. METERS
 PROPOSED OPEN AREA = 15000 SQ. METERS
 TOTAL OPEN AREA = 25110 SQ. METERS
 TOTAL AREA = 30110 SQ. METERS





North
 (Rajasthan Sahitya Akademi)
 प्र. सं. १२३
 अक्षय शिशु भव
 शिक्षा एवं विज्ञान संस्थान
 कानपुर
 A. Swatantra Kumar Sachan
 CA/2014/164845
 N-566, Ashiyana, Lucknow
 Ratiachon & Associates
 A GROUP OF ARCHITECTS & ENGINEERS
 11-A, PAVAN CHANDRA, BUDADE SOCIETY
 Ground Floor, Ashiyana, Lucknow
 E. 2017 Year, Type Register, KANPUR



- STAIR DETAIL
- SLAB HT - 3 MT
 - STEP TRADE - 3 MT
 - STEP RISER - 0.15 MT
 - STEP WIDTH - 1.5 MT



EXISTING AND PROPOSED COLLEGE
BUILDING PLAN
CONDUCTED BY CHAITRANPATISANA J
ANVA KUMAR KATGAMTHI
SINCE 1998
BUILDING STANDARDS CONSULTANT J.P.
OWNERS SIGNATURE
APPROVED BY
AR SACHAN
N-566 Ashok
Lucknow - 220099



EXISTING AND PROPOSED COLLEGE BUILDING PLAN
 CONDUCTED BY: CHAITANYA PRADEEP
 DESIGNER: DR. ANAND KUMAR
 REGISTERED ARCHITECT NO. - 28, 29, 30, 31
 REGISTERED ARCHITECT NO. - 28, 29, 30, 31
 REGISTERED ARCHITECT NO. - 28, 29, 30, 31

North
 Dr. Swamintra Kumar Sachin
 A-CA/2014/64845
 N-586, Ashiyana, Lucknow
 Mob. 9423402289

